तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी / टी.ए. / 2827 / 2024 / जयपुर योगेन्द्र बनाम नारंगी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
08-5-2024	**एकल–पीठ** **डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक प्रार्थी । **आदेश** हस्तगत् नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा निगरानी संख्या 2518/2024 में पारित आदेश दिनांक 02–5–2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् विवादित आराजी मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 पेश किया। प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 18–9–2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दिनांक 16–10–2023 पेशी नियत की गई तथा अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से करावें आगामी दिनांक तक तामील नहीं कराने पर अन्तरिम आदेश प्रभावी नहीं होगा, का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18–9–2023 को विड्रो करने हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 08–4–2024 के द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा एक निगरानी प्रस्तुत की। जिस पर मण्डल की निगरानी संख्या 2518/2024 दिनांक 02–5–2024 के द्वारा निरस्त कर दी। जिससे व्यथित होकर यह नजरसानी प्रार्थी द्वारा मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि मण्डल द्वारा पारित आदेश इसलिए पुनरावलोकन किये जाने योग्य है क्योंकि दिनांक 08–4–2024 को प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र में वादी/प्रार्थी द्वारा स्पष्टतया अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विड्रो किए जाने की स्वीकृति अंकित है। न्यायालय के समक्ष उक्त बाबत विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त विचारण न्यायालय	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म ़</td><td>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
<u>नजरसानी निगरानी/ टी.ए./2827/ 2024 / जयपुर</u>
<u>योगेन्द्र बनाम नारंगी देवी वगैरह</u></td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>द्वारा दिनांक 08—4—2024 को ही उक्त प्रार्थना पत्र का एकमात्र अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा काउन्टर टीआई प्रस्तुत किया जाना वर्णित करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये गये है। जिसे निर्णय दिनांक 08—4—2024 को निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका मण्डल द्वारा बिना किसी आधार के प्रकरण का अवलोकन किये बिना निरस्त किये जाने में त्रुटि की है जो कि प्रथम दृष्टया ही अभिलेख पर दिखने वादी स्पष्ट त्रुटि होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से नजरसानी स्वीकार फरमाई जाकर मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—5—2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा मंडल के आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 18—9—2023 को प्रार्थी/वादी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16—10—2023 को जारी किया। तत्पश्चात प्रार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18—9—2023 को विड्रो करने हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 08—4—2024 के द्वारा इस आधार पर निरस्त किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा जवाबदावा मय जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर टीआई दिनांक 04—12—2023 को प्रस्तुत किये जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण समस्त अप्रार्थीगणों की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात गुणावगुण पर किये जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया जिसे मण्डल की निगरानी संख्या 2518/2024 दिनांक 02—5—2024 के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04—12—2023 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हुए निगरानी खारिज करने का विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। नजरसानी के माध्यम से इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार नजरसानी सारहीन होने के कारण मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी / टी.ए. / 2827 / 2024 / जयपुर योगेन्द्र बनाम नारंगी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–455 ''श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी'' में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

"Review- 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

"A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ 290 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

"In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise."

इस प्रकार नजरसानी बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। नजरसानी द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकलपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है।

वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही नजरसानी का आधार हो सकती है अन्यथा

तारीख हुक्म ८	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी/ टी.ए./2827/ 2024 / जयपुर योगेन्द्र बनाम नारंगी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नहीं और ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–5–2024 गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी नजरसानी का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। नजरसानी एक ओर अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। निष्कर्षतः नजरसानी प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	